कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Email id: nodalfca.forest@uk.gov.in Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2306 /12–1 देहरादूनःदिनांकः 22 मार्च, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव
वन एवं पर्यावरण
उत्तराखण्ड,शासन।

वन अनुभाग–3

विषयः– जनपद –रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.1575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **(PROPOSAL NO. FP/UK/ROAD/43416/2019)**

सन्दर्भः–इस कार्यालय का पत्रांक 2198/12–1 दिनांक 20–03–2023 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के पत्रांक 2198/12-1 दिनांक 20.03.2023 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तो की बिंदुवार अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। वर्तमान में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त ऑनलाइन अनुपालन आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अपलोड कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 2306 / दिनॉक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–2198 /FP/UK/ROAD/43416/2019 :देहरादूनः दिनांकः 20 मार्च, 2023

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :– जनपद–रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.1575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :–वन अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–159/X-3-21/1(12)/2021 दिनांक 08–02–2021

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के पत्रांक 1495/12–1 दिनांक 15.12.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर निम्नानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्शो तक रख–रखाव हेतु आव यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 1,46,400.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0– 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0–566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित धनराशि रू0 1,03,478.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की भार्त संख्या 03 के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0– 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1 लोधीरोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि) का मदवार विवरण	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1,03,478.00 तथा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,46,400.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 2,49,878.00 चालान के माध्यम से कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। धनराशि की पुष्टि हेतु चालन की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**

	अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आव यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनाव यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.12.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या के क्रम में विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– /FP/UK/ROAD/39447/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रूद्रप्रयाग।

20/3/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुंख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1495 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, दिसम्बर 15 ,2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– **जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर के निर्माण हेतु 0.1575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/43416/2019

सन्दर्भ– **सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0**–1143(1)/X-3-21/1(90)/2021 दिनांक 10.09.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1769/12–1(2) दिनांक 02.12.2022 (संलग्न) से अवगत कराया गया है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग) द्वारा अपनी पत्र सं0 3977/16 सी0 दिनांक 07.11.2022 (संलग्न) से प्रभागीय कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित की गई हैः–

क्र0सं0	शर्त का विवरण	अनुपालन
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1769/12–1(2) दिनांक 02.12.2022 से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु **रुपये 1,46,400.00 (एक लाख, छियालीस हजार, चार सौ) मात्र की धनराशि** का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई॰ए॰सं॰–566 एवं भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3/2007–एफ॰सी॰ दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन॰पी॰वी॰) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन॰पी॰वी॰ हेतु **रुपये 1,03,478.00 (एक लाख, तीन हजार, चार सौ अट्ठहतर) मात्र की धनराशि** का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन॰पी॰वी॰ की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि एन॰पी॰वी॰ की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–2)

सा॰प्र॰/प्रभारी रूद्रप्रयाग
आ॰का॰ करें।

अ॰प्र॰व॰सं॰/नोडल
21-12-22

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 3217
पत्रावली 215
दिनांक 22-12-22

क्रमशः पेज 02 पर

JAIDEEP

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं॰ 5–3/2007–एफ॰ सी॰ दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन॰पी॰वी॰ तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं॰–एस॰ बी॰–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी॰जी॰ओ॰ काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन॰पी॰वी॰ क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव व एन॰पी॰वी॰ की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही रुपये 2,49,878.00 (दो लाख, उन्चास हजार, आठ सौ अठ्ठहतर) मात्र की धनराशि का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण–पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 10 से 16 पर संलग्न कर तथा ऑनलाईन अपलोड कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। उक्त संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–4)
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

क्रमशः पेज 03 पर

8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम करेगा, साथ ही निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने उक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक / दिनॉक

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

पंजीकृत

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन/ फैक्स नं0 :- +91-8126660575::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 1769 /12-1(2) दिनांक 02/12/2022::

सेवा में

वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाड़ा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर के निर्माण हेतु 0.1575 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/43416/2019

सन्दर्भ :- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-1143(1)/X-3-21/1(90)/2021 दिनांक 10.09.2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलमवार/बिन्दुवार) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक-3977/16सी0 दिनांक 07.11.2022 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जो निम्न प्रकार है-

बि.सं.	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पडें स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की ज़ायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु **रुपये 1,46,400.00 (एक लाख, छियालीस हजार, चार सौ) मात्र की धनराशि** का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक-1)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.सं.-566 एवं भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. हेतु **रुपये 1,03,478.00 (एक लाख, तीन हजार, चार सौ अट्ठहतर) मात्र की धनराशि** का भुगतान वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से जमा किया जा चुका है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	एन.पी.वी. की दर मे बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी सम्बन्धित बचनवद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-2)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं. 5-3/2007-एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं.-एस. बी.-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती, की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त देयकों का भुगतान (स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव व एन.पी.वी. की निर्धारित धनराशि) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही **रुपये 2,49,878.00 (दो लाख, उन्चास हजार, आठ सौ अट्ठहतर) मात्र की धनराशि** का पूर्ण भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया गया है। **(संलग्नक-1 के अनुसार)**

प्राप्त 02/12/22 व0प्र0 आ0का0
9 प0स0

405 / 127
7/12/2022 D.I.m

क्रमशः-2 पर

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। उक्त संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 10 से 16 पर संलग्न कर तथा ऑनलाईन अपलोड कर उच्च स्तर को प्रेषित किये गये हैं। उक्त संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–4)**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव में निहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम करेगा, साथ ही निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार। (तीन सत्यापित प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 3977 / 16 म्नोठ दिनांक 07/11/2022

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/43416/2019 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.1575 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ– उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1143(1)/X-3-21/1(190)/2021 दिनांक 10.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोचित वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि रू0 1,46,400.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896143416703 IFSC code UBIN0996335, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007 – एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में इको क्लास के अनुसार 0.1575 है0 वनभूमि एनपीवी की देय धनराशि रू0 1,03,478.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896143416703 IFSC code UBIN0996335, Union Bank इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0वी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक–2।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित	शर्त संख्या 1 व 2 के अनुसार (कुल धनराशि रू0 2,49,78.00 मात्र) रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग पंजीका 2633 पत्रांक 1240... दिनांक 7/11/022

	स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, प्रति संलग्न है, संलग्नक–3 ।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों /प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, प्रति संलग्न है, संलग्नक–4
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित प्रत्येक निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षे में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मलवे का निस्तारण निर्धारित स्थल पर सुरक्षित तरीके से किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी, साथ ही उक्त स्थल को पुर्नजीवित करने हेतु वृक्षारोपण विभाग द्वारा किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम करेगा, साथ ही निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।
10	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 05-T1 ।

07/11/2022

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्राप्त 7/11/2022
भूमि हस्तान्तरण (O) FRE
प्र0 व0 अ0

संलग्नक (1)

तिलवाडा-भरदार-स्यारी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.77 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन

Counterfoil

State Bank of India

Date 02/09/22

Received

From

By Cheque/

Transfer for

RTGS/NEFT

On

Bank Union Bank of INdia

Branch Lodhi Complex Branch

Favoring Uttaralchand campa

IFSC Code UBIN0996335

A/c No. 150896143416703

Account No. 249878.00

Amount ₹ 249878.00

Bank's Charges ₹ Govt Payment

Total ₹ 249878.00

(Rupees Two lac Fourteen Nine thousand Eight hund Seventy Eight only.

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०-लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

संलग्नक - ①

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ **Help**

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/43416/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43416/2019) Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Gaon Motor road	ROAD434162019703	6143416703	10 Sep 2021	**CA:** 146400/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 103478/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 249878/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Apr 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :25 Jul 2022 **Transaction Date** : 02 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180420221517544241_FPUKROAD434162019_User_Fund_Demanded_8620O.pdf Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD434162019703)
2	FP/UK/ROAD/121750/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/121750/2021) Construction of Dungra (Bachansyu) to Arsuin Motor road under State Sector	ROAD1217502021165	61121750165	29 Nov 2021	**CA:** 1253649/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1110330/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2363979/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 09 Dec 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 12 May 2022 **Transaction Date** : 24 May 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/061220211626287210_FPUKROAD1217502021_User_Fund_Demanded_1T631.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD1217502021165)
3	FP/UK/ROAD/34512/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34512/2018) Construction of Bainoli to Ringed Motor road under District Sector	ROAD345122018143	6134512143	29 Jan 2021	**CA:** 571189/-, **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/-, **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/-, **Addl PA :** 0/- **NPV:** 505890/-, **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1077079/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :28 Jul 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 16 Mar 2022 **Transaction Date** : 29 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/71124123812126NL3LDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD345122018143)

phle chr Alu

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0**

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

FORM-1

1.6

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No---65 **Dated-**15/07/19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.1575 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Tilwara Bhardar Syari to Syari Village Motor road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Syari gaon** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

PC Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

FORM-I

1/6

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudraprayag

No. [illegible] Dated 13/2/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA'), on all forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated [illegible] February 2013 wherein [illegible] certificate in respect of linear projects is certified that 0.1575 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Provincial Division P.W.D. Rudraprayag [illegible] of user agency for Construction of Tilwara Bhardar [illegible] Syari to Syari Village Motor road under District Sector purpose for [illegible] of forest land in Rudraprayag District falls within jurisdiction of Syari gram village(s) in Jakholi tehsil.

It is further certified that:

[illegible] the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire [illegible] hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all [illegible] consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure [illegible] annexure [illegible].

[illegible] the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

[illegible] the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 15/07/19... at time ..11:00.......at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **0.1575 hect** for the **Construction of Tilwara Bhardary Syari to Syari village Motor Road under District Sector (1.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:..15/07/19...

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

PC Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

19(A) प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– स्यांरी

तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड मे जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 0.1575 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –भुनता– द्वारा दिनांक 12/06/11 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमे पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –स्यांरी– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत भुनता
ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

PC Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

दिनांक 12/06/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत स्यांरी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	सुखदेव पन्त	(हस्ताक्षर)
	प्रकाश जोशी	प्रकाश जोशी
श्रीमति	प्यारी देवी	प्यारी देवी
	किते राम	कितेराम
	योगिता देवी	योगिता देवी
श्रीमति	रीना देवी	रीना देवी
	कृष्णा लाल	कृष्णा लाल
	राकेश लाल	राकेश लाल
	दयाल लाल	दयाल लाल
	बिहारी लाल	बिहारी लाल
	सुरेश लाल	सुरेश लाल
श्रीमति	सुशीला देवी	सुशीला देवी
	महावीर लाल	महावीर लाल
	चमन लाल	चमन लाल
श्रीमति	शान्ती देवी	शान्ती देवी
	राममूर्ति	राममूर्ति
	मनमोहन	मनमोहन
श्रीमति	राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी
श्रीमति	गुड्डी देवी	गुड्डी देवी
श्रीमति	सुनीता देवी	सुनीता देवी
श्रीमति	सुन्दरी देवी	
"	संजू देवी	संजू देवी

PC Attested

संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

(मोहर: प्रधान ग्राम पंचायत स्यांरी, ह0 रामेश्वरी, वि0 ख0 जखोली रूद्रप्रयाग)

नाप भूमि का विवरण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र 1.9

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0

जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी0के निर्माण हेतु जो नाप भूमि अर्जित की जानी है, उस हेतु हम नापभूमिधरों को कोई आपत्ति नहीं है तथा हम अपनी भूमि विभागीय दरों पर देने हेतु सहर्ष सहमत हैं।

क्र0 सं0	भूमिधरों का नाम	खसरा नं0	अर्जित की जानी वाली भूमि का क्षेत्रफल है0 में0	हस्ताक्षर
5/12 0/14	ललिता प्रसाद	1015/1540	0.013+0.069	[signature]
	राजेश पंत	1016	0.015	[signature]
	सुखदेव पंत	1477	0.070	[signature]
	किशोरी लाल	1479/1480	0.023+0.078	[signature]
	पूर्णानन्द जोशी	1455	0.035	
	गणेश मुनी	1460	0.044	[signature]
	महेश देव	1454	0.033	
	खिमानन्द आदि	1478/1023	0.024/0.072	[signature]
	शंभूप्रसाद	1024	0.073	[signature]

हस्ताक्षर

राजस्व उपनिरीक्षक

Pc Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

"समझौता ज्ञापन" 1.10

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि **तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक** मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज दिनांक 25/06/18 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
2. यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है, उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के नाम किया जायेगा।
3. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके अतिरिक्त स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अविलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

नाम भूमिधर

नाम–	हस्ताक्षर
1. [illegible]	
2. [illegible]	
3. [illegible]	
4.	
5.	
6. [illegible]	
7. [illegible] देवी	
8. मुकेश चन्द्र	
9.	
10. [illegible]	
11. राकेश लाल	
12. हरीश कुमार	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	

ह0 पटवारी /मोहर

PC Attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग